न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 75/2015

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

चैला पुत्र श्री हेमा, कौम घॉची, निवासी हेमावास, के कानूनी वारिशान्

1. चुन्नीलाल पुत्र चेलाजी
2. कुकाराम पुत्र चेलाजी
3. रामलाल पुत्र चेलाजी
4. प्रेमसागर पुत्र चेलाजी
5. धनीदेवी पुत्री चेलाजी
6. पानीदेवी पुत्री चेलाजी ग्राम हेमावास, तहसील पाली जिला पाली

1. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री जुंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01/12/2022

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2012 बउनवान चैला बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाके सरहद मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

काणदरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 147 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार घोषित कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर माननीय न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2002 को वाद को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त वाद रिमाण्ड होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की साक्ष्य कलमबद्ध की गयी परन्तु पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 15.09.2015 को मुकर्रर थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की साक्ष्य लिये बिना ही अंतिम बहस मुकर्रर की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद अस्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील की नकले तथा धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट के नोटिसेज की प्रतियां पेश की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का निर्णय भी विधि अनुसार नहीं किया गया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में मौजा काणदरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 147 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– RRD 1991 Page 1, RRD 1994 Page 349

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा वाके सरहद सरहद मौजा काणदरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 147 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार घोषित कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मुख्य बिन्दु यह रेखाकिंत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों का निर्णय विधिपूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दु के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में वाद बिन्दु(तनकी) का दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो।

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसी प्रकार हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण संख्या/अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा/ (अशोक राव बनाम अमृतलाल), अपील/टीए/गंगानगर/5160/2004 (रामी बनाम विद्यादेवी), अपील/टीए/गंगानगर/5161/2004 (रामी बनाम रामप्रताप) एवं अपील/टीए/कोटा/2780/2009 (रतना बनाम रामनाथ) में दिनांक 30.08.2018 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को दोषपूर्ण मानते हुए विधि में संशोधन हेतु यथोचित कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व वाद संख्या 50/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी

बउनवान चैला बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली